**श्रम अनुभाग–1**
**अधिसूचना संख्याः 1705 (एस0टी0वी0 36–1–156 (एस0टी0)–76**
**दिनाँक 13.06.1983**
**उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनाँक 13 जून, 1983 को प्रकाशित**

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 1976 का 25) की धारा 12 की उपधारा–(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत, इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के सापेक्ष परिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिये किसी ऐसे नियोजन, जिसके सन्दर्भ में अधिनियम की धारा–2 की उपखण्ड (2) के खण्ड (अ) में समुचित सरकार राज्य सरकार है, अधिकृत करते हैं।